

/159361/2023

16/10/23

4412

ई पत्रावली संख्या-60170

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।SSOCP/II
18/10/23
Chief Engineer (Planning)
P.W.D., DehradunCECP/AAO
18/10/23
San Navneet
Pandy E.E.
प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 06 अक्टूबर 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत (उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 कार्यक्रम के अन्तर्गत) जनपद देहरादून में विभिन्न 06 कार्यों (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिनमें मोटर मार्गों की सम्मिलित लम्बाई 14.20 किमी.+ 2 Job एवं लागत, ₹1329.74 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹1103.23 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ तीन लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 06 कार्यों हेतु कुल ₹0.60 लाख (₹ साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)				
क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत (उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 कार्यक्रम के अन्तर्गत) देहरादून-मसूरी मार्ग के कि0मी0 02 एवं कि0मी0 03 में राईडिंग क्वालिटी सुधार, साईनेज व सौन्दर्यीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)।	2.40	144.78	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत (उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 कार्यक्रम के अन्तर्गत) ऋषिकेश भानियावाला मार्ग के कि0मी0 16 से एयरपोर्ट, थानों, रायपुर, 06 नं0 पुलिया, फव्वारा चौक होते हुए अग्रवाल बैकर्स, रिस्पना पुल तक मोटर मार्ग पर डी0बी0एम0,	1 Job	241.38	0.10

330 28
अ.प्र. 10/10
अ.प्र. 10/10
अ.प्र. 10/10

	बी0सी0, सी0सी0 मरम्मत एवं मार्ग के सौन्दर्यीकरण का कार्य (कि0मी0 1 से 30) (विस्तृत आगणन)।			
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत (उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 कार्यक्रम के अन्तर्गत) देहरादून-मसूरी राज्य मार्ग सं0-1 में कि0मी0 19 से कि0मी0 24 में बी0सी0 द्वारा मार्ग का सतह सुधार का कार्य (विस्तृत आगणन)।	1 Job	183.42	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत (उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 कार्यक्रम के अन्तर्गत) बल्लूपुर-गढ़ीकैंट मार्ग पर बी0सी0 द्वारा सतह सुधार एवं अन्य कार्य (विस्तृत आगणन)।	3.950	280.06	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत (उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 कार्यक्रम के अन्तर्गत) हरबर्टपुर-आसन बैराज मार्ग (चकराता मार्ग-किशन नगर से बल्लूपुर तक) पर बी0सी0 द्वारा मार्ग का सतह सुधार एवं अन्य कार्य (विस्तृत आगणन)।	4.00	101.58	0.10
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत (उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 कार्यक्रम के अन्तर्गत) कौलागढ़ मार्ग पर बी0सी0 द्वारा मार्ग का सतह सुधार एवं अन्य कार्य (विस्तृत आगणन)।	3.850	152.01	0.10
	कुल योग:-	14.20+2 Job	1103.23	0.60

(₹ साठ हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी :-

- विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न

किया जाये।

- vii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- viii. आगणनों में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- ix. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.- 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/158937/2023 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh

Date: 05-10-2023 18:32:04

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

/159361/2023

9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा.ख./नि.ख./अ.ख., लोक निर्माण विभाग, देहरादून/कृषिकेश।
 10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव

doc 256 ✓



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/159361/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23100220014
 आवंटन पत्र दिनांक-06-OCT-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
53-वृहद निर्माण					5660000	60000	0	5720000				
योग					5660000	60000	0	5720000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.60,000 (Rupees Sixty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 1207 / 20 याता0'क'नियो0-1 / 2023

दिनांक-20.10.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, 9 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट". पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून